(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-2/2020, dated 27.10.2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(3)-2/2020

Dated Shimla-2, the

27.10.2020

#### NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Anni, District Kullu as notified vide this department Notification No. UD-A(3)-2/2020, dated 25.08.2020 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 27.08.2020 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Kullu within a period of six weeks;

AND WHEREAS, the objections/suggestions received from the inhabitants of the local areas proposed to be included in Nagar Panchayat Anni, District Kullu within the prescribed time limit were considered by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section (3) and sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Nagar Panchayat Anni, District Kullu, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE given below and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

#### "THE SCHEDULE"

Sr.No	Name of	Name of	Name of	Name of	Khasra No.	Total	Total		
	Patwar	Muhal	Gram	ward	y 14	Khasra	Area (in		
	Circle		Panchayat			No.	Hec.)		
1	Manjhadesh	Manjhadesh	Bakhnao	Anni	2499 to 2599, 2609	344	.87.5		
	,	,			to 2850,8284,8285				
2	Franali	Franali	Anni	Anni	830 to 911	81	20		
3	Karana	Karana	Karana	Batala	2184 to 2195, 2456	17	3.5		
				(Khobda)	to 2460				
					1		13		
4	Kungash	Kungash	Kungash	Teshan	1171 to 1187, 2747,	21:	5.5		
			Ü		2801,2814,2876,2877				
5	Jaban	Jaban	Namhong	Naldehra	1587 to 1627	40	.9		
3			Ü						
Total	503	125.5							
1000									



The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by subsection (7) of section 4 and sub-section (1) of section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of general tax for a period of three years from the commencement of this notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,

Rajneesh Secretary (Urban Dev.) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.: As above.

Dated Shimla-2, the

27.10.2020

Copy is forwarded to the following for information & necessary action :-

- 1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
- 2. The Addl.-LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
- 4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
  - 5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
  - 6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.

7. The Deputy Commissioner, Kullu, H.P.

(Surject Singh Rathore) 27

Joint Secretary (Urban Dev.) to the Government of Himachal Pradesh.

# हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग

संख्या यू०डी०-ए०(3)-2/2020

तारीख शिमला-02,

27.10.2020

## अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू०डी०-ए०(3)-2/2020 तारीख 25.08.2020 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू की घोषणा के लिए प्रस्तांव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, कुल्लू के माध्यम से छह सप्ताह की अविध के भीतर आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27.08.2020 को प्रकाशित किया गया था;

और विहित समय—सीमा के भीतर नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू में सिमिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से प्राप्त हुए आक्षेप / सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तद्नुसार उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई 'अनुसूची' में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू का गठन करते हैं और यह राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।

''अनुसूची''

				2.4	r		
क्रम	पटवार	महाल	ग्राम	वार्ड का	खसरा नम्बर	<u>क</u> ुल	कुल क्षेत्रफल
संख्या	वृत का	का नाम	पंचायत	नाम		खस्रा	(हैक्टेयर में)
	पृत्त प्रम	471 1111	पंपापत			नम्बर	
	नाम		का नाम				
1	<u>मांझादेश</u>	मांझादेश	बखनाओं	आनी	2499 से 2599,	344	87.5
	11411431	11411 4 (1)	1011	on n	2609 से	, , ,	07.5
		,			2850,8284,8285		1 12
2	फरानाली	फरानाली	आनी	आनी	830 से 911	81	20
3	कराणा	कराणा	कराणा	बटाला	2184 से 2195,	17	3.5
				(खोबडा)	2456 से 2460.		
4	कुंगश	कुंगश	कुंगश	तेशन	1171 से 1187,	21	5.5
					2747,		
					2801,2814,2876,		
					2877		
5	जाबन	जाबन	नमहोंग	नालदेहरा	1587 से 1627	40	9
					*.		
कुल						503	125.5

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (7) और धारा 80 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों पर इस अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अविध के लिए सामान्य कर के संदाय से भी छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार—अभिलेख के वाजीब—उल—अरज में यथा उपबंधित रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

रजनीश सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि तारीख शिमला-02,

27.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
- 2. अतिरिक्त विधि परामशी एवम अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3. सचिव, राज्य निवार्चन आयोग, हिमाचल प्रदेश।
- 4. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।
- 5. निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश।
- 6. निदेशक, जनगणना कार्य शिमला, हिमाचल प्रदेश।

7. उपायुक्त जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

(सुरजीत सिंह राठौर) 27.10.20 संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार।